

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - श्रीमती प्रीति सिंह पंवार (आर.ए.एस.)

20स0 - 82/2019

उनवान

1. रामेश्वर लाल पिता रामचन्द्र सुथार उम्र वयस्क निवासी आमली तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
2. मदनलाल पिता रामचन्द्र सुथार उम्र वयस्क निवासी आमली तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.

(प्रार्थी)

बनाम

1. सम्पत सिंह पिता जोरावर सिंह डागलिया उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
2. भैरूलाल पिता देबीलाल दरोगा उम्र वयस्क निवासी बस स्टेण्ड बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
3. राजूलाल पिता देबीलाल दरोगा उम्र वयस्क निवासी बस स्टेण्ड बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
4. सदीक मोहम्मद पिता अजीज मोहम्मद छीपा उम्र वयस्क निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
5. गोपी पिता दलीचन्द माली उम्र वयस्क निवासी बंगला का खेडा बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
6. लादुलाल पिता दलीचन्द माली उम्र वयस्क निवासी बंगला का खेडा बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.-डिलीट
7. उगमा पिता मोती माली उम्र वयस्क निवासी बंगला का खेडा बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.-डिलीट
8. भैरूलाल पिता मोती माली उम्र वयस्क निवासी बंगला का खेडा बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.-डिलीट
9. भंवर सिंह पिता प्यारा किशन रावणा राजपूत उम्र वयस्क निवासी माताजी का खेडा बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
11. एस.बी.आई. बैंक शाखा बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक- डिलीट

(अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता- श्री कृष्ण कुमार जीनगर

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

:: निर्णय ::

दिनांक - 27.06.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे दिनांक 18.04.2019 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बनेड़ा पटवार मण्डल बनेड़ा भू0अ0नि0 बनेड़ा तहसील बनेड़ा मे उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 1420 के आ0न0 2816, 2817 किता 02 रकबा 08-18 बीघा भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 18.04.2019 पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। दिनांक 27.06.2019 को विपक्षी कम 07, 08 को छोडकर शेष समस्त विपक्षीगणों को जारी सम्मन/नोटीस बाद तामील लौटकर प्राप्त, जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये, विपक्षीगण सूचना के बावजूद नियत पैशी पर अनुपस्थित रहने से विरुद्ध विपक्षीगण एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी कम 07, 08 का सम्मन अदम तामील लौटकर प्राप्त, इस पर अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा नियत सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी कम 07, 08 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए प्रमाण में आदेशिका पर इसका अंकन कर हस्ताक्षर किये गये। प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी कम 07, 08 का नाम डिलीट किये जाने की आज्ञा पारित की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्यायिक दृष्टिकोण से स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बनेड़ा पटवार मण्डल बनेड़ा भू0अ0नि0 बनेड़ा तहसील बनेड़ा मे उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 1420 के आ0न0 2816, 2817 किता 02 रकबा 08-18 बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी बसामालात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक बनेड़ा को 900/-रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नही की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। यह आदेश आज दिनांक 27.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रीति सिंह पंवार
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा